भारत सरकार

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 4735

(जिसका उत्तर सोमवार, 23 मार्च, 2020/ 3 चैत्र, 1942 (शक) को दिया गया)

वेब फार्म पोर्टल

4735. श्रीमती नवनित रवि राणाः

क्या **कॉरपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल में नया व्यवसाय आरम्भ करने वालों के लिए जीवन सुगम बनाने हेतु नई कंपनी के निगमन के लिए आधुनिक वेब पोर्टल शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो वेब फार्म के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या नया शुरू किया गया वेब फार्म विद्यमान वेब फार्म के स्थान पर लाया जाएगा तथा इससे समय लगने वाली प्रक्रिया कम होगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त ई-फार्म के लिए जागरुकता का सृजन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनिस (ईओडीबी) पहलों के एक भाग के रूप में, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या सा.का.नि. संख्या 128 तारीख 18.02.2020 (23.02.2020 से प्रभावी) के माध्यम से 'स्पाइस+' नामक एक वेब प्ररूप हाल ही में अधिसूचित किया है। 'स्पाइस+' (उच्चरित 'स्पाइस प्लस') नामक नये वेब प्ररूप को मौजूदा पीडीएफ आधारित स्पाइस प्ररूप से प्रतिस्थापित किया गया है। स्पाइस+ वेब प्ररूप तीन केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों (कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग) तथा एक राज्य सरकार (महाराष्ट्र) द्वारा 10 सेवाएं प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप भारत में कोई व्यवसाय आरंभ करने के लिए अनेक क्रियाविधियों, समय और लागत की बचत होती है। यह नवनिगमित कंपनी के लिए बैंक खाता खोलने में भी सामर्थ्य प्रदान करता है। यह एक समेकित वेब प्ररूप है तथा इसके दो भाग हैं अर्थात् भाग क- नई कंपनियों के लिए नाम आरक्षण हेतु और भाग-ख रजिस्ट्रीकरण की विभिन्न सेवाएं प्रदान करने अर्थात् (i) निगमन (ii) डिन आवंटन (iii) पैन का अनिवार्य रूप से जारी करना (iv) टैन का अनिवार्य रूप से जारी करना (v) ईपीएफओ रजिस्ट्रीकरण का अनिवार्य रूप से जारी करना (vi) ईएसआईसी रजिस्ट्रीकरण का अनिवार्य रूप से जारी करना (vii) व्यवसाय कर रजिस्ट्रीकरण का अनिवार्य रूप से जारी करना (महाराष्ट्र) (viii) कंपनी के लिए बैंक खाते का अनिवार्य रूप से खोलना और (ix) जीएसटीआईएन का आवंटन (यदि इसके लिए आवेदन किया है)। प्रयोक्ता प्रथम नाम आरक्षण के लिए या तो भाग-क प्रस्तुत करने का विकल्प चुन सकते है और इसके पश्चात् निगमन और अन्य रजिस्ट्रीकरणों के लिए भाग-ख या एक नई कंपनी के निगमन के लिए और उक्त रजिस्ट्रीकरणों के लाभ प्राप्त करने के लिए एक साथ भाग क और ख फाइल कर सकते हैं। नया वेब प्ररूप कंपनियों के समेकित निगमन के लिए ऑन स्क्रीन फाइलिंग तथा वास्तविक डाटा समेकन की सुविधा प्रदान है।

सरकार ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के परामर्श से वेबिनार आयोजित करने और एमसीए 21 पोर्टल पर और प्रिंट मिडिया में उक्त वेब प्ररूप को अपलोड करने के बारे में पूर्व सूचना प्रसारित करने सहित उक्त वेब प्ररूप के लिए जागरूकता सृजित करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं।

****